**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं.694**

**07 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए**

**अमृत काल के मार्ग**

**694. श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः**
**श्री बसंत कुमार पंडा:**
**श्री रवि किशनः**
**श्री लल्लू सिंहः**
**श्री रविन्दर कुशवाहा:**
**श्री दिलीप शइकीयाः**
**डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी:**
**श्रीमती अपराजिता सारंगी:**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शहरी नियोजन पर उच्च स्तरीय समिति की 'अमृत काल के मार्ग: भारतीय शहरों के लिए एक नए भविष्य की कल्पना और एहसास' शीर्षक वाली रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) क्या सरकार ने देश के शहरों के सामने आने वाली तीव्र शहरीकरण की समस्या के समाधान के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ग): शहरी नियोजन पर उच्च स्तरीय समिति ने अप्रैल, 2023 में पहली मसौदा रिपोर्ट "अमृत काल के मार्ग: भारतीय शहरों के लिए एक नए भविष्य की कल्पना और एहसास'' प्रस्तुत कर दी है। समिति का कार्यकाल फरवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन राज्य का विषय है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/ परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। यह राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि की तेज गति को ध्यान में रखते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार निम्नलिखित सहित कई उपायों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में नियोजित विकास और पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक अवसरों को बढ़ाने की दिशा में कई पहल कर रही है:

(i) शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014

(ii) मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल) - 2016

पूंजी निवेश 22-23 के लिए विशेष सहायता योजना के अंतर्गत शहरी सुधार (भाग-VI) हेतु भवन उपनियमों के आधुनिकीकरण, हस्तांतरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) को अपनाने, स्थानीय क्षेत्र योजनाओं (एलएपी) और शहर आयोजना स्कीम (टीपीएस) के कार्यान्वयन, पारगमन-उन्मुख विकास (टीओडी) के कियान्वयन, स्पंज शहरों के निर्माण, सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें चलाने हेतु कराधान हटाने के लिए 6000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 12 राज्यों को 4093.16 करोड़ रुपये की निधियां जारी की गई है।

पूंजी निवेश 23-24 के लिए विशेष सहायता योजना के तहत शहरी सुधार (भाग-III) के लिए 15000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए। सुधार घटकों में शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने हेतु मानव संसाधनों का विस्तार, टाउन प्लानिंग योजना (टीपीएस)/भूमि पूलिंग योजना का कार्यान्वयन, भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, इन-सीटू स्लम पुनर्वास, पारगमन-उन्मुख विकास (टीओडी), हस्तांतरणीय विकास अधिकार को नियोजन के साधन के रूप में प्रयुक्त करना, शहरी आयोजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना शामिल है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत और अमृत 2.0 मिशन के तहत 100% केंद्रीय सहायता के साथ जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने और स्थानीय क्षेत्र योजनाओं और टाउन प्लानिंग योजनाओं (एलएपी-टीपीएस) के निर्माण पर उप योजनाएं शुरू की हैं । विवरण इस प्रकार हैं:

**i) 'अमृत शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने' पर उप-योजना।** आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अक्टूबर 2015 में 500 अमृत शहरों (वर्तमान में 461 अमृत शहर शामिल हैं) के लिए जीआईएस-आधारित मास्टर प्लान तैयार करने पर एक उप योजना शुरू की है, जो अमृत मिशन के तहत महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। आज तक 408.94 करोड़ रुपये अनुमोदित किए जा चुके हैं और 192.25 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। अब तक उप-योजना के तहत प्रगति इस प्रकार है: 443 शहरों के लिए अंतिम जीआईएस डेटाबेस तैयार करना, 330 शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान का मसौदा तैयार

किया गया है, जिसमें से 180 शहरों के लिए अंतिम जीआईएस आधारित मास्टर प्लान को अधिसूचित किया गया है।

**ii). अमृत 2.0: क- '50,000-99,999' आबादी वाले श्रेणी-।। के कस्बों हेतु जीआईएस आधारित मास्टर प्लान बनाना'** माननीय प्रधान मंत्री जी ने 01.10.2021 को अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 का शुभारंभ किया है। अमृत 2.0 मिशन के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, '50,000 - 99,999' की आबादी वाले श्रेणी-॥ कस्बों के जीआईएस आधारित मास्टर प्लान का निर्माण' पर एक उप-योजना को महत्वपूर्ण सुधार के रूप में अधिदेशित किया गया है, जिसे 631 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 675 कस्बों के लिए अनुमोदित किया गया है। यह उप-योजना कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में है।

**iii) स्थानीय क्षेत्र योजना और नगर नियोजन योजना (एलएपी/टीपीएस):-** नगर नियोजन योजना (टीपीएस) और स्थानीय क्षेत्र योजना (एलएपी) की तैयारी के लिए प्रायोगिक उप-स्कीम 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना की संकल्पना शहर के केन्द्र में शहरी भूमि जुटाकर और शहरी परिधि में शहरी भूमि पार्सल समायोजित करके शहरी क्षेत्र का नियोजित विकास करने के लिए की गई है। उप-योजना में स्मार्ट सिटी मिशन के पहले चरण में चिह्नित किए गए 25 शहरों को शामिल किया गया। कुल आबंटन 50 करोड़ रू. था, प्रत्येक शहर को 3 किश्तों में 2 करोड़ रुपये दिए जाने हैं। सभी 25 शहरों ने प्रारंभिक चरण पूरा कर लिया है और प्रत्येक को 40 लाख रुपये मिले हैं। 14 राज्यों ने मसौदा चरण पूरा कर लिया है और दूसरी किस्त या तो प्राप्त कर ली है या प्राप्त करने वाले हैं। कुल 13.34 करोड़ रुपये जारी कर दिये गए हैं और राज्यों द्वारा 3.67 करोड़ रुपये के उपयोग की सूचना प्राप्त हुई।

****